

**FORM -I**  
**(for linear project)**  
**Government of Jharkhand**  
**Office of the Deputy Commissioner Dumka**

Memo No.....

Dated.....

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MOEF'S Letter Dated 05<sup>th</sup> February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner projects it is certified that **6.983 Acre (Notified Forest)** of forest land proposed to be diverted in favour of **EASTERN RAILWAY OF INDIA** (name of user agency) **HANSDIHA-MOHANPUR BADI RAIL LINE CONSTRUCTION** (Purpose for diversion of forest land) in district falls within jurisdiction of Dumka Village(s) **BAIJA, AMJORA, NAWADIH, HARLATAND** in Saraiyahat tehsils. Details of land noted bellow :-

SI	Block	Name of Mauza	Thana No.	Plot No.	Earned Record in Acre	Notified Forest/JJ Area (Acre)
1	2	3	4	5		6
1	Saraiyahat	BAIJA	18	210	0.70	PPF
2		BAIJA	18	238	0.516	PPF
3		AMJORA	19	100	1.466	Safe Forest
4		NAWADIH	02	611	1.303	Safe Forest
5		HARLATAND	22	205	3.528	J.J
<b>Total :-</b>					<b>6.983 Acre</b>	

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.983 Acre** of Notified forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....to.....(Not Applicable)

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl...As above

el-

Deputy Commissioner.  
-cum-  
Chairman, FRA Dumka

Memo no. .... 11.29 ..... (Wel). Dated. 01/09/2020

Copy to :-

1. Secretary of Government Revenue and Land Reform Deptt. Jharkhand, Ranchi for information.
2. Tribal Welfare Commissioner, Jharkhand, Ranchi for kind information.
3. Division Forest Officer, Dumka for information and necessary action.
4. Deputy Chief Enginner /Con. Eastern Railway, Bhagalpur for information.
5. Circle Officer, Saraiyaht for information.

01/09/2020

Deputy Commissioner.  
-cum-  
Chairman, FRA Dumka

अनुमंडल कार्यालय, दुमका (झारखण्ड)  
(ISO 9001:2015 Certified)

सामान्य शाखा

दिनांक 15.07.2020 को आयोजित अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही--  
बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची पत्र में दर्ज है। बैठक में अवल अधिकारी, सरैयाहाट का  
पत्रांक-410/सा10, दिनांक 11.06.2020 द्वारा वनाधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के तहत अंचल सरैयाहाट  
मौजा-बैजा, पंचायत-मंडलडीह, अमजोरा, नवाडीह, हरलाटांड, पंचायत-कमरदाहा होते हुए हंसडीहा मोहनपुर  
बडी रेल लाइन निर्माण हेतु निम्न विवरणी के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है:-

क्र०	मौजा	थाना	दाग नं०	ज०नं०	अर्जित रकवा एकड में	भूमि का किरम
1	बैजा	18	210	18	0.170	परतीकदीम
2	बैजा	18	238	18	0.516	परतीकदीम
3	अमजोरा	19	100	36	1.466	जंगल साखू
4	नवाडीह	02	611	37	1.303	साखू जंगल
5	हरलाटांड	22	205	21	3.528	जंगल झाडी

उक्त प्रस्ताव ग्राम वन अधिकार समिति एवं ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित के पश्चात्  
अंचलाधिकारी सरैयाहाट की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है। समीक्षोपरांत उपरोक्त भूमि (परतीकदीम, साखू  
जंगल, जंगल झाडी) वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुमंडल वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण  
पत्र निर्गत करने एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा सहित अग्रसारित करने का सर्वसम्मती से निर्णय लिया  
गया।

६०  
अनुमंडल पदाधिकारी  
-सह- अध्यक्ष,  
अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति,  
दुमका।

ज्ञापांक 02 (50)/अनु० सा०

दुमका, दिनांक:- 15.7.20

प्रतिलिपि:- जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका/ सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अनुमंडल पदाधिकारी  
-सह- अध्यक्ष,  
अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति,  
दुमका।

ग्राम सभा

⑦

आज दिनांक 24-01-2020 समय 11:00 बजे पूर्वान् में ग्राम बेजा पंचायत, गान्धी अंपल खेरीघाट जिला - दुमका • टेबडीहा - मोहनपुर नदी स्ल लॉडन निपार्ण के लइल FRA संव NOC हेतु उपामुक्कल खड जिला दुसडीधबरी दुमका जिला राजस्व शाखा पत्रांक 23/ २७ दिनांक 08-01-2020 के खाफ अंपल अधिकारी खेरीघाट आपांक 46 दिनांक 18-01-2020 के अनुपालन में

स/अ.

लॉट सं - 210, 238 का खका प्रममः 0.170 ए० संव 0.516 ए० का 11.02.2020 के अधिधार समिति से अनापरी हेतु ग्राम सभा का आयोजन ग्राम प्रधान श्री शंकर राणा की अध्यक्षता में पंचायत भवन मंडलडीहा में ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई जिसमें निम्नलिखित ग्रामीणों ने भाग लिया।

ग्रामीणों का हस्ताक्षर एवं टीप निशान

- ① दिलीप कुमार
- ② सुनिल कुमार
- ③  67.9  
केकटकी देवी
- ④ अनिल यादव
- ⑤ राम प्रसाद राण्ड
- ⑥ कुन्दन पाटुल
- ⑦ नन्दकिशोर यादव
- ⑧ प्रधाम मांझी
- ⑨ सुनील कुमार
- ⑩ सुसाधराण्ड
- ⑪ माधो पांडे
- ⑫ प्रमोद राण्ड
- ⑬ मधोरथ खिल

शंकर राणा  
ग्राम प्रधान  
पाम - बेजा

अजीत कुमार  
Boat Officer of forest  
Nonihat Beat

- (1) सुबोधन गौड़
- (2) सुबोधन गौड़
- (3) सुबोधन गौड़ (110)
- (4) सुबोधन गौड़ लाठक
- (5) सुबोधन गौड़
- (6) सुबोधन गौड़

प्रस्ताव सं-01 मौजा बीजा नं-18 खाना सं-18 लॉट सं-210, 238 रकबा क्रमशः 0.170 एं एवं 0.516 एं दिहा PF अधिपूचना सं- 574-R-VIF-107/50 & RT दिनांक 01-07-1950 के अनुसार टेंडीय मोहनपुर वही रेल लार्डन निर्माण किचा जाना है। एत गेजद एवं अभिलेख में उक्त भूमि पर ही कदीम बोनकर रज है। प्रस्ताव सं-02 मौजा बीजा के रेलों द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि वही रेल लार्डन पीपोजना पर अनापीर का समर्पण किचा 2 प्रा।

प्रस्ताव सं-03 उपरिष्ठ रेलों के सामने अक्षय महोदय के प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया एवं बैठक की कार्यवाही सध-प्रसाद के साथ समाप्त की गई।

अजीत कुमार

Beat Officer of forest  
Nonihat Beat

अक्षय  
K.C.

शंकर प्रसाद  
ग्राम प्रधान  
पाम - वजा

:- FRM एवं 100 हेक्टर ग्राम-सभा :-

(24)

अंचल कार्यालय सपेगाहा टके नॉर्पक 46/रा. 18-ग. 20 जिला कल्याण पदा. दुमका के पशीक-56/दिनांक-10-ग. 20 एवं अमर समाहरी दुमका के पशीक 23/रा. 08-ग. 01-2020 के आचाषत्र में नं. 19 में ग्राम-सभा आज दिनांक 01-02-2020 को माजा-आमजारा नं. 19 में एक ग्राम-सभा की गई सदस्य श्री महादेव मंडल की अध्यक्षता में एक ग्राम-सभा की बैठक बुलाई गई जिसका मुख्य विषय हैसडीडा-मोहनपुर रेलवाइन निर्माण हेतु अनौपतिकी मांग की गई है। उल्लेख बैठक में ग्रामियों एवं वनआधिकार समार के सदस्यों के समक्ष गलाव पत्रर सुनाया गया सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस मांजा के प्रस्तावित भूमि-दाग/खेसरा नं. 100 रकबा-1.46 हेक्टेयर के समस्त कहेकर गल गंजर सर्वे खारियान में दख है जो वन विभाग के अंतर्गत पड़ता है। वसाले गांव के रयला अन्य का, वसत्र केई आपली नही है।

:- ग्रामियों का हस्ताक्षर :-

1. श्रीमोहन मंडल
2. पट्टे कुमंडल
3. विपुल मंडल
4. कैलाश कुमंडल
5. श्रीधर मंडल
6. रामश्रीवका मंडल
7. गणेश मंडल
8. श्रीराम मंडल
9. मंजीप मंडल
10. रामचंद्र मंडल
11. मनोहर राम
12. जैबि नारायण
13. रामचंद्र राय
14. जेतपारिप

अध्यक्ष का हस्ताक्षर  
 महादेव मंडल  
 जल प्रधान  
 अमजारा  
 अजीत कुशाल

Beat Officer of forest  
 Nonihat Beat

अन्य अक्षर महादेव के धन्यवाद आपका के साथ गांव के बैठक तक के लिए सभा की कार्यवाही समाप्त की गई

महादेव मंडल  
 जल प्रधान  
 अमजारा

महादेव मंडल  
 02/02/2020

-: FRA एवं NOC हेतु ग्राम-सभा :-

(3)

अंचल कार्यालय, सरैयाहाट के नॉमिनल-46/रा.18.01.2020, जिला कल्याण महानुमा का के नॉमिनल-55/दिनांक-10.01.20 एवं अपर समाहरी डुमका के नॉमिनल-23/रा. दिनांक-08.01.2020 के आधारे में आज दिनांक 08-2-2020 को मौजा-नवाडीह क्र.37 में ग्राम-प्रधान अशोक प्रसाद की अध्यक्षता में एक ग्राम-सभा की बैठक बुलाई गई जिसका मुख्य विषय बंसडीहा-मोहनपुर रेललाइन निर्माण हेतु अनापत्त की मांग की गई है। उक्त बैठक में ग्रामिणों एवं वनजाचकार समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वस मौजा के प्रस्तावित सीमा-दाग/खेसरा नं-611 रकबा-1.30 हेक्टेयर के अंतर्गत गल गंजूर सर्वे खतियान में हल हो जो वर्तमान में लिनाग के अंतर्गत पड़ता है। इसलिये गांव क समिति अन्य का, वस गल गंजूर के अंतर्गत आगती नहीं है।

-: ग्रामिणों का हस्ताक्षर :-

1. राम नारायण
2. निशिकांत गाढ़
3. राजन कुमार
4. बुलदेवी
5. कल्याण देवी
6. प्रिलीयन नंदन
7. बिजली देवी
8. गीता गाढ़
9. रामेश्वर मांगी
10. अर्जुन कुमार
11. विनय कुमार शर्मा
12. राज केशव शर्मा
13. देविनाथ शर्मा

अशोक प्रसाद  
ग्राम-प्रधान  
ग्राम-नवाडीह  
सम-प्रधान  
(सहस्र) ग्राम-नवाडीह

सत्यापित  
18.2.2020

अजीत कुमार  
East Officer of Forest  
Nonhat Beat


अशोक प्रसाद  
ग्राम-प्रधान  
ग्राम-नवाडीह

-: FRA एवं NOC हेतु ग्राम-समा :-

अंगुल कार्यालय, सरैयाहाल के कार्यांक 16/रा० 18-08-2020 विधा पत्र का क्र०  
 दुमका के कार्यांक-56/दिनांक-10-01-20 एवं अपर समाहारी दुमका के कार्यांक  
 23/रा०, दिनांक-08-01-2020 के आलोचक में  
 आज दिनांक-11-02-2020 को मौजा-हलावांड के ग्राम-समा के  
 बर्ड सदस्य श्री रोहन यादव - श्री अचमलारा में एक ग्राम-समा के  
 बर्डक बुलाई गई जिसका मुख्य विषय हैसरीहा-गोहनपुर रेलवे लाइन  
 निर्माण हेतु अनौपचारिकी मांग की गई है। प्रक बर्डक में ग्रामियों एवं  
 वनआयकार सामाजिक के सदस्यों के समक्ष प्रत्यक्ष पदकर सुनाया गया।  
 सर्व सभ्यता से निर्णय लिया गया कि इस मौजा  
 के प्रस्तावित सीमा-भाग/खेसरा नं०-205 रफसा-3-51 के समक्ष कच्ची कट्टर  
 गल गंजर सर्वे रवतियाग में बर्डक जो बर्डक वन विभाग के अधीन  
 पड़ता है। इसीलिए गांव के रैमलों अन्य का, वसपर कोई जायगी नहीं है।

राहुन यादव  
 बर्डक का हस्ताक्षर  
 ग्राम प्रधान  
 पौडा हलावांड-22  
 अ०-सीपावट  
 (दुमका)

-: ग्रामियों का हस्ताक्षर :-

- ① भरत यादव
- ② तपनी यादव
- ③ नरुल यादव
- ④ राहुन यादव
- ⑤  LTI-रमसुन्दर यादव
- ⑥ भागक यादव
- ⑦ Dilip Yadav.
- ⑧ अमरकान्त यादव
- ⑨ कमलाकांत यादव
- ⑩  → LTI-दानी यादव
- ⑪ श्रीम चंमकेश

प्रत्याक्ष  
 11-02-2020

अन्त में अचमल मंडोहर के धन्यवाद जापण के साथ अपनी  
 बर्डक तक के लिए समा की कार्रवाई समाहारी की गई

अनील कुमार

Beat Officer of forest  
 Nonihat Beat

राहुन यादव  
 ग्राम प्रधान  
 पौडा हलावांड-22  
 अ०-सीपावट  
 (दुमका)

दिनांक 01.09.2020 को श्रीमती राजेश्वरी बी०, (भा०प्र०से०) उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के बैठक की कार्यवाही:-

उपरिस्थिति :- पंजी के अनुसार।

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक 03 (मु०) अनु० सा०, दिनांक 17.07.2020 के द्वारा वन अधिकार से संबंधित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकार की नान्यता अधिनियम 2006 के अनुरूप एक अभिलेख अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति से पारित होकर प्राप्त हुआ है, जिसे जिला स्तरीय वन अधिकार समिति में पारितार्थ हेतु उपस्थापित किया गया।

उक्त अभिलेख में अंचल सरैयाहाट, मौजा - बैजा, अमजोरा, नवाडीह एवं हरलाटॉड में हँसडीहा-मोहनपुर बड़ी रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु वन अधिकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत हेतु प्रस्ताव है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

क्र०	प्रखण्ड	मौजा का नाम	थाना	दाग न०	ज०न०	अर्जित रकवा एकड़ में	अधिसूचित वन/ जंगल झाड़ी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरैयाहाट	बैजा	18	210	18	0.170	पी०पी०एफ०
2		बैजा	18	238	18	0.516	पी०पी०एफ०
3		अमजोरा	19	100	36	1.466	सुरक्षित वन
4		नवाडीह	02	611	37	1.303	सुरक्षित वन
5		हरलाटॉड	22	205	21	3.528	जंगल झाड़ी
कुल :-						6.983 एकड़	

2. उपरिस्थित सदस्यों द्वारा उपांकित परियोजना का प्राप्त अभिलेख, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ग्राम समा की कार्यवाही तथा अनुमण्डल वनाधिकार समिति की अनुरासा का जाँच किया गया। जाँचोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित हँसडीहा-मोहनपुर बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर विहित प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया एवं निर्देश दिया गया है कि संबंधित प्रयोक्ता संस्थान वनभूमि के क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/-

उपायुक्त,

-सह-अध्यक्ष

जिला वनाधिकार समिति, दुमका।

ज्ञापांक 1188 / जि०क०, दुमका, दिनांक 01/09/2020

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, सरैयाहाट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

उपायुक्त

-सह-अध्यक्ष

जिला वनाधिकार समिति, दुमका।